संख्या-3534/सैंतीस-2-2014-1(11)/14

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक- 13 मार्च, 2015

विषय:- **पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति से पूर्व 02 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि में छात्रवृत्ति दिये जाने की शासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2027/स्था0-2/1-ख/14(1176)/2014, दिनांक-09.12.2014 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-1466/12-प-2-27(123)/84, दिनांक-13.04.1989 तथा सं0-1498/12-प-2-27(39)/91, दिनांक-22.06.1991 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पशुपालन विभाग पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा नियमावली-2002 यथा संशोधित (प्रथम संशोधन) नियमावली-2013 में निहित व्यवस्थानुसार पशुधन प्रसार अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति से पूर्व 02 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के दौरान योगदान करने की तिथि से प्रति प्रशिक्षणार्थी छात्रवृत्ति की धनराशि रू0-200.00 प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0-1000.00 (रूपये एक हजार मात्र) प्रतिमाह किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक "2403-पशुपालन-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय-21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-20/दस-2015, दिनांक-04.02.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-3534(1)/सैंतीस-2-2014- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन निदेशालय, बादशाहबाग, लखनऊ।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।